"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 903]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 — पौष 9, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 11—04/2019/सात—4.— छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला बिलासपुर की सीमाओं को परिवर्तित करते हुये तथा नवीन जिले की सीमाओं को परिभाषित करते हुये, दिनांक 10 फरवरी 2020 से "गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही" का सृजन करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 13 की उप—धारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुंका है।

## अनुसूची

स.क.	जिला	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
	गौरेला—पेण्ड्रा	जिला बिलासपुर की सम्पूर्ण तहसील	उत्तर में – तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया,
	–मरवाही	पेण्ड्रारोड, मरवाही एवं पेण्ड्रा को	छत्तीसगढ़.
		समाविष्ट करते हुए नवीन जिला	दक्षिण में – तहसील कोटा, जिला बिलासपुर
		''गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही'' का सृजन।	एवं तहसील लोरमी, जिला
			मुंगेली, छत्तीसगढ़.
			पूर्व में – तहसील कटघोरा, जिला कोरबा,
		*	छत्तीसगढ़.
	20	8	पश्चिम में – तहसील सोहागपुर एवं पुष्पराजगढ़
			जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

### Atal Nagar, the 30th December 2019

### **NOTIFICATION**

No. F 11-04/2019/Seven-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates "Gaurela-Pendra-Marwahi", with effect from 10 Febraury 2020, by altering the limits of district Bilaspur and having define the limits of new district as specified in the Schedule below, the same having been previously published as required by the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the said Code.

#### **SCHEDULE**

S.No.	District	Nature of change	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)
	Gaurela-Pendra- Marwahi	Creation of new district "Gaurela-Pendra-Marwahi" by inclusion of whole tehsils of Pendra road, Marwahi and Pendra of Bilaspur district.	North- Tehsil Manendragarh, District Koria, Chhattisgarh. South- Tehsil Kota, District Bilaspur and Tehsil Lormi, District Mungeli, Chhattisgarh. East- Tehsil Katghora, District Korba, Chhattisgarh. West- Tehsil Sohagpur and
			Pushprajgarh, District Anuppur, Madhya Pradesh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, M.D.DIWAN, Joint Secretary.